



भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
(भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 के अंतर्गत स्थापित)
प्रधान कार्यालय : सिडबी टावर, 15, अशोक मार्ग, लखनऊ - 226 001

31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही एवं नौ महीनों के एकल वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़)

विवरण	समाप्त तिमाही हेतु			समाप्त नौ महीने हेतु		समाप्त वर्ष हेतु
	31.12.2024	30.09.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.03.2024
	[समीक्षित]	[लेखापरीक्षित]	[समीक्षित]	[समीक्षित]	[समीक्षित]	[लेखापरीक्षित]
1. अर्जित ब्याज (क)+(ख)+(ग)+(घ)	9,642	9,224	8,230	28,021	22,475	31,310
(क) अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	8,379	7,973	7,190	24,373	19,368	27,182
(ख) निवेशों पर आय	625	610	522	1,821	1,407	1,974
(ग) भा.रि.बैंक में अतिशेष राशियों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज	638	641	518	1,827	1,700	2,154
(घ) अन्य	-	-	-	-	-	-
2. अन्य आय	204	175	82	511	447	632
3. कुल आय (1+2)	9,846	9,399	8,312	28,532	22,922	31,942
4. ब्याज व्यय	7,203	6,743	5,925	20,777	16,349	22,881
5. परिचालन व्यय (i)+(ii)	332	365	304	975	836	1,366
(i) कर्मचारी लागत	168	213	157	558	527	828
(ii) अन्य परिचालन व्यय	164	152	147	417	309	538
6. प्रावधानों और आकस्मिक व्यय को छोड़कर कुल व्यय (4+5)	7,535	7,108	6,229	21,752	17,185	24,247
7. प्रावधानों और आकस्मिक व्यय से पूर्व परिचालन लाभ (3-6)	2,311	2,291	2,083	6,780	5,737	7,695
8. प्रावधान (कर के अलावा) और आकस्मिक व्यय [पुनरांकन पश्चात निवल]	1,425	40	160	1,467	436	1906
9. असाधारण मदें @	-	-	-	-	(500)	(500)
10. सामान्य गतिविधियों से कर पूर्व लाभ (+) / हानि (-) (7-8+9)	886	2,251	1,923	5,313	4,801	5,290
11. कर संबंधी व्यय [आस्थगित कर आस्ति/देयता समायोजन पश्चात् निवल]	203	562	465	1,306	1,177	1,263
12. सामान्य गतिविधियों से कर पश्चात निवल लाभ(+)/ हानि(-) (10-11)	683	1,689	1,458	4,007	3,624	4,026
13. असाधारण मदें (कर व्यय घटाकर)	-	-	-	-	-	-
14. अवधि का निवल लाभ (+) / हानि (-) (12-13)	683	1,689	1,458	4,007	3,624	4,026
15. चुकता ईक्विटी शेयर पूँजी (अंकित मूल्य ₹10 प्रति शेयर)	569	569	569	569	569	569
16. आरक्षितियाँ पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर	34,837	34,155	30,559	34,837	30,559	30,831
17. विश्लेषणात्मक अनुपात						
(i) भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों का प्रतिशत	20.85%	20.85%	20.85%	20.85%	20.85%	20.85%
(ii) पूँजी पर्याप्तता अनुपात						
क) बेसल I	लागू नहीं	लागू नहीं	16.69%	लागू नहीं	16.69%	15.94%
ख) बेसल III	18.50%	19.49%	लागू नहीं	18.50%	लागू नहीं	लागू नहीं

(iii) प्रति शेयर आमदनी (मूल और अवमिश्रित) (ईपीएस)	12.01#	29.71#	25.63#	70.48#	63.74#	70.82
(iv) गैर-निष्पादक आस्ति अनुपात						
क) गैर-निष्पादक आस्ति की सकल राशि	106	35	200	106	200	100
ख) गैर-निष्पादक आस्ति की निवल राशि	0.00	0.00	98	0.00	98	0.00
ग) सकल गैर-निष्पादक आस्ति का %	0.02	0.01	0.05	0.02	0.05	0.02
घ) निवल गैर-निष्पादक आस्ति का %	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
(v) आस्तियों पर प्रतिफल (कर पश्चात्) (वार्षिकीकृत)	0.52%	1.32%	1.31%	1.03%	1.09%	0.87%
(vi) निवल मालियत	32,889	32,775	29,567	32,889	29,567	28,900
(vii) बकाया मोचनीय अधिमान शेयर	-	-	-	-	-	-
(viii) पूंजी मोचन आरक्षिती	-	-	-	-	-	-
(ix) डिबेंचर मोचन आरक्षिती	-	-	-	-	-	-
(x) परिचालन सीमा	23.47%	24.37%	25.06%	23.76%	25.03%	24.09%
(xi) निवल लाभ सीमा	6.93%	17.97%	17.54%	14.04%	15.81%	12.61%
(xii) ऋण - ईक्विटी अनुपात *	9.06	8.07	8.41	9.06	8.41	9.36
(xiii) कुल आस्तियों की तुलना में कुल ऋण (%) *	55.64	50.52	51.21	55.64	51.21	51.78

अवार्षिकीकृत

* ऋण, कुल उधारी (जमाराशियों को छोड़कर) को दर्शाता है

@ सीजीटीएमएसई हेतु किया गया रु500 करोड़ का अंशदान

टिप्पणियाँ :

- 1) सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में, बैंक इन वित्तीय परिणामों को तैयार करने में उन्हीं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का अनुपालन कर रहा है, जैसा कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए किया गया था।
- 2) उपर्युक्त परिणाम, निदेशक मंडल द्वारा फरवरी 07, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में समीक्षा किया गया है।
- 3) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दूसरी तिमाही के आंकड़े, छमाही के अंत के संबंध में लेखापरीक्षित आंकड़ों और संबंधित वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के अंत तक प्रकाशित समीक्षाकृत आंकड़ों के बीच संतुलन के आंकड़े हैं।
- 4) 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त नौ महीनों के वित्तीय परिणाम भारतीय रिज़र्व बैंक से जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर गैर-निष्पादक आस्तियों, मानक आस्तियों तथा निवेश संबंधी मूल्यहास के लिए आवश्यक प्रावधान करने के बाद निकाले गए हैं। आयकर, आस्थगित कर तथा कर्मचारी लाभ सहित अन्य सामान्य व आवश्यक प्रावधान, जहाँ भी अपेक्षित हैं, अनुमानित/समानुपातिक आधार पर किए गए हैं और वर्षांत में समायोजन के अधीन हैं।
- 5) 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त नौ महीनों के दौरान, बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित त्वरित प्रावधान नीति के अनुसार, आईआरएसी मानदंडों के तहत निर्धारित न्यूनतम से अधिक दरों पर मानक अग्रिमों पर अतिरिक्त प्रावधान किया है। तदनुसार, बैंक 31 दिसंबर, 2024 तक ₹ 2,930.62 करोड़ के मानक अग्रिमों पर अतिरिक्त प्रावधान रखा है।
- 6) 24 सितंबर, 2021 को ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण पर भा. रि. बैंक मास्टर निर्देश के तहत 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त नौ महीनों के दौरान हस्तांतरित/अधिग्रहित ऋणों का विवरण नीचे दिया गया है:
ऋणों का हस्तांतरण :
i) हस्तांतरित गैर-निष्पादित आस्तियों के विवरण:

(₹ करोड़)

विवरण	आस्ति वसूली कंपनियों को	अनुमन्य हस्तांतरितियों को	अन्य हस्तांतरितियों को
खातों की संख्या	1	-	-
अंतरित ऋणों का सकल मूलधन बकाया	39.49	-	-
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत शेष अवधि	लागू नहीं	-	-
अंतरित ऋणों का निवल बही-मूल्य (अंतरण के समय)	0	-	-
सकल प्रतिफल	9.25	-	-
पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों से प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	0	-	-

31 दिसंबर, 2024 को समाप्त नौ महीनों के दौरान, प्रतिभूति प्राप्तियों (एसआर) में कोई निवेश नहीं हुआ है। इस संबंध में प्रतिभूति की प्राप्ति-रसीदें प्रदान की जाती हैं और इसलिए निवल बही मूल्य शून्य है। दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में प्रत्यावर्तित अतिरिक्त प्रावधान शून्य था।

- ii) बैंक ने किसी भी ऐसे ऋण का हस्तांतरण नहीं किया है, जो चूकग्रस्त / विशेष उल्लेख खाता (एसएमए) नहीं है।

ऋण का अधिग्रहण :

iii बैंक ने किसी दबावग्रस्त ऋण का अधिग्रहण नहीं किया है।

iv समनुदेशन के माध्यम से 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त नौ महीनों, अधिगृहीत गैर-चूक संबंधी ऋणों के विवरण निम्नवत हैं:

(₹ करोड़)

विवरण	2024-25 (31 दिसंबर, 2024 को समाप्त नौ महीनों)	2023-24
अधिगृहीत ऋणों की सकल राशि (₹ करोड़ में)	614.18	48.94
भारित औसत शेष परिपक्वता (माह सं.)	107.61	106.84
प्रवर्तक द्वारा भारित औसत धारिता की अवधि (माह सं.)	9.56	13.31
प्रवर्तक द्वारा लाभप्रद आर्थिक हित का प्रतिधारण	20%	20%
मूर्त प्रतिभूति कवरेज	206.68%	266.45%
रेटेड ऋणों का रेटिंग-वार वितरण	लागू नहीं	लागू नहीं

- 7) निवल गैर निष्पादित आस्तियों के परिकलन के लिए चल प्रावधान को विचार में नहीं लिया गया है।
- 8) पिछली अवधि के आँकड़ों को वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यकतानुसार पुनर्समूहित / पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
- 9) भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 15 मई, 2019 के पत्र के अनुसार, अगली सूचना तक एआईएफआई के लिए आईएनडी-एस का कार्यान्वयन आस्थगित कर दिया गया है।
- 10) भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 19 दिसंबर, 2023 के परिपत्र सं आरबीआई/2023-24/90 डीओआर. एसटीआर. आरईसी.58/21.04.048/2023-24 - वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफआई) में निवेश और उसके पश्चात् दिनांक 27 मार्च, 2024 के परिपत्र सं आरबीआई/2023-24/140 डीओआर. एसटीआर. आरईसी. 85/21.04.048/2023-24 के माध्यम से जारी स्पष्टीकरण के क्रम में बैंक ने तत्संबंधी प्रभाव का आकलन किया है और ऐसे मामलों में 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त नौ महीनों के दौरान रु.43 करोड़ के प्रावधान किए हैं।
- 11) भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 21 सितंबर, 2023 के परिपत्र सं आरबीआई/डीओआर/2023-24/105 डीओआर.एफआईएन.आरईसी.40/01.02.000/2023-24 के अनुसार, एआईएफआई को 30 जून 2024 को समाप्त तिमाही से बेसल III पूंजी विनियमों के अंतर्गत प्रयोज्य स्तंभ 3 के प्रकटीकरण का उल्लेख आवश्यक है। तदनुसार, पिछली अवधि के समरूपी ब्यौरे प्रयोज्य नहीं हैं। बेसल III पूंजी विनियमों के अंतर्गत स्तंभ 3 के प्रकटीकरण बैंक की वेबसाइट अर्थात् <https://www.sidbi.in/listing-disclosure> पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन प्रकटीकरणों की सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा नहीं की गई है।
- 12) सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा उपर्युक्त परिणामों की सीमित समीक्षा की गई है।

निदेशक मंडल के आदेश से

दिनांक: फरवरी 07, 2025

स्थान: लखनऊ

[मनोज मित्तल]

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक



- SIDBIOfficial

कृपया हमारी वेबसाइट : www.sidbi.in देखें।



@sidbiofficial